41–(08)–73–2019

पटना में दिनांक–18 फरवरी, 2019 सोमवार को अपराह्न 7:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

उद्योग विभाग

1. मे० जयदयाल हाईटेक्स प्रा०लि०, नदेशर, वाराणसी (उत्तर प्रदेश) के द्वारा मौजा–चिपली, कर्मनाशा, प्रखण्ड–दुर्गावती, जिला–कैमूर (भभुआ) में 4200 मे०टन वार्षिक क्षमता का प्लास्टिक स्टोरेज बैग्स निर्माण ईकाई की स्थापना हेतु कुल रू० 3688.90 लाख (छत्तीस करोड़ अठासी लाख नब्बे हजार रूपए) के निजी पूँजी निवेश एवं वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति देने के संबंध में।

1. **स्वीकृत।**

ऊर्जा विभाग

2. राज्य के क्षेत्राधीन सभी विद्युत उपभोक्ताओं के वर्तमान मीटर को स्मार्ट प्री–पेड मीटर से बदलने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु एकीकृत ऊर्जा विकास योजना (आई०पी०डी०एस०) के कार्यान्वयन के लिए चयनित केन्द्रीय उपक्रमों यथा पावर फाइनेन्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (पी०एफ०सी०), रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (आर०ई०सी०) तथा इनर्जी एफिसिएन्सी सर्विसेज लिमिटेड (ई०ई०एस०एल०) के द्वारा कार्य कराने की स्वीकृति प्रदान करने

एवं

कुटीर ज्योति (BPL) तथा कृषि विभाग से चिन्हित दो हेक्टेयर तक भूमि वाले उपभोक्ताओं को स्मार्ट प्री–पेड मीटर के रेन्ट के मद में अतिरिक्त भार नहीं देते हुए अंतर की राशि का ऊर्जा शुल्क सब्सिडी के साथ प्रतिवर्ष भरपाई पर सैद्धांतिक सहमति एवं स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

2. **स्वीकृत।**

ऊर्जा विभाग

3. (क) तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड (TVNL) के स्वामित्व को झारखंड सरकार को सौंपने

एवं

(ख) उपर्युक्त प्रतिष्ठान में बिहार सरकार एवं तदेन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से निवेशित राशि एवं प्रदत्त ऋण की राशि के बदले TVNL के प्रस्तावित Stage-II से 40 प्रतिशत बिजली बिहार राज्य के उपयोग हेतु प्राप्त करने के प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

3. **स्वीकृत।**

कृषि विभाग

4. बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर के दो परिसरों को जोड़ने के लिए Subway निर्माण हेतु कुल 3425.00 लाख (चौंतीस करोड़ पच्चीस लाख) रू० की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 में बजट उपबंध के अधीन तत्काल 1500.00 लाख (पन्द्रह करोड़) रू० सहायक अनुदान की स्वीकृति। — 4. **स्वीकृत।**

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

5. आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना में अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी (से०ग्रे०) एवं अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी के दो–दो पद सहित कुल 04 (चार) पद क्रमशः लेवल–12 एवं लेवल–11 में सृजन की स्वीकृति के संबंध में। — 5. **स्वीकृत।**

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

6. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना के कार्यालय हेतु आशु उपाधीक्षक के 05 पद एवं आशु निरीक्षक के 35 पद सहित कुल 40 (चालीस) पदों का सृजन क्रमशः लेवल–9 एवं लेवल–7 में स्वीकृति के संबंध में। — 6. **स्वीकृत।**

गृह विभाग

7. राज्य के नालंदा जिलान्तर्गत तेलमर, मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत बेनीवाद एवं रामपुरहरि, समस्तीपुर जिलान्तर्गत मोहद्दी नगर, हथौड़ी एवं मुसरीघरारी तथा खगड़िया जिलान्तर्गत मड़ैया थाना भवन, आउट हॉउस एवं फर्निचर सहित ग्रीन आधारभूत संरचना के निर्माण हेतु मानक तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि ₹456.411 लाख (चार करोड़ छप्पन लाख एकतालीस हजार एक सौ रू०) मात्र की दर से कुल लागत राशि ₹3194.877 लाख (इक्कतीस करोड़ चौरानवे लाख सतासी हजार सात सौ रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति देने के संबंध में। — 7. **स्वीकृत।**

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

8. व्यवहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रशिक्षु अधिनियम 1961 (Apprentice Act 1961) के अन्तर्गत विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के कार्यरत अभियंत्रण महाविद्यालयों/पोलिटेकनिक संस्थानों में प्रतिवर्ष 176 डिग्री एवं 184 डिप्लोमा प्राप्त छात्रों को प्रशिक्षु के रूप में क्रमशः रू० 15000/–एवं रू० 10000/–प्रतिमाह स्टाइपेंड के साथ प्रशिक्षण देने के संबंध में। — 8. **स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

9. वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य योजनान्तर्गत मगध महिला कॉलेज, पटना में छात्रावास निर्माण कार्य हेतु कुल रू० 31,08,48,000/–(इकतीस करोड़ आठ लाख अड़तालीस हजार) मात्र योजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं तत्काल रू० 5,00,00,000/–(पाँच करोड़) मात्र सहायक अनुदान की विमुक्ति प्रदान करने के संबंध में। 9. **स्वीकृत।**

अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग

10. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अधीन क्षेत्रीय कार्यालय में लिपिकों के संवर्ग के पदों पर नियुक्ति/प्रोन्नति तथा अन्य सेवा शर्त्तों को विनियमित करते हुए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्त्तें) नियमावली, 2019 के गठन की स्वीकृति। 10. **स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

11. नवगठित भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के कार्यालय के कार्यों के निर्वहन हेतु 2,80,40,028/–(दो करोड़ अस्सी लाख चालीस हजार अठाईस) रूपये वार्षिक अनुमानित व्यय पर विभिन्न प्रकार के कुल 39 (उनचालीस) पदों के सृजन के संबंध में। 11. **स्वीकृत।**

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

12. श्री अजय कृष्ण मिश्र, तत्का० सहायक निबंधन महानिरीक्षक, मगध प्रमंडल, गया सम्प्रति सेवा से बर्खास्त द्वारा दण्डादेश के विरूद्ध प्राप्त पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकृत करने के संबंध में। 12. **स्वीकृत।**

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

13. बिहार, उत्पाद लिपिकीय संवर्ग के निम्नवर्गीय लिपिक, उत्पाद के स्वीकृत 200 पदों में से 107 को प्रत्यर्पित कर उच्चवर्गीय लिपिक, उत्पाद के 63 पदों तथा प्रधान लिपिक, उत्पाद के 44 पदों को सृजित करने की स्वीकृति के संबंध में। 13. **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

14. स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत बिहार ऑफ्थालमिक सहायक संवर्ग के मूलकोटि एवं प्रोन्नति के पदों पर नियुक्ति एवं उनकी सेवा शर्त्तों के निर्धारण हेतु बिहार ऑफ्थालमिक सहायक संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2019 के गठन की स्वीकृति के संबंध में। 14. **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

15. बिहार विधान मंडल के माननीय सदस्य को जीवन रक्षा की दृष्टिकोण से आपात स्थिति में एयर एम्बुलेंस की सुविधा प्रदान किये जाने की स्वीकृति। — 15. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

16. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना में मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी के पद पर पुनर्नियुक्त पदाधिकारी–श्री सतीश सिंह ठाकुर, भा०प्र०से० (सेवानिवृत्त) की सेवा को दिनांक–31.03.2019 को समाप्त हो रही उनकी पुनर्नियुक्ति की अवधि के उपरान्त दिनांक–01.04.2019 से 31.03.2021 तक पूर्व निर्धारित शर्त्तो पर विस्तारित किये जाने के संबंध में। — 16. स्वीकृत।

भवन निर्माण विभाग

17. ₹83.40 करोड़ (तिरासी करोड़ चालीस लाख) की लागत पर शास्त्रीनगर, पटना में वरीय पदाधिकारी के आवास निर्माण कार्य योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। — 17. स्वीकृत।

सहकारिता विभाग

18. बिहार राज्य फसल सहायता योजनान्तर्गत लाभुक किसानों को DBT (Direct Benefit Transfer) पद्धति से सीधे भुगतान करने एवं इसके लिए वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 में खरीफ 2018 मौसम हेतु राज्य योजना से सहायक अनुदान मद में 900.00 (नौ सौ) करोड़ मात्र की राशि की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति सहित प्रत्येक वर्ष उपलब्ध बजट उद्व्यय एवं उपबंध के अंतर्गत राशि की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में। — 18. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

19. "शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों के अनुसचिवीय कर्मियों की नियुक्ति, प्रोन्नति एवं स्थानान्तरण नियमावली, 2019" की स्वीकृति के संबंध में। — 19. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

20. वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य योजनान्तर्गत जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनीतिक शोध संस्थान, पटना के भवन निर्माण योजना हेतु कुल रू० 7,49,23,500/–(सात करोड़ उनचास लाख तेईस हजार पाँच सौ) मात्र के योजना के पुनरीक्षित प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजना के क्रियान्वयन हेतु अवशेष राशि रू० 1,44,86,408/–(एक करोड़ चौवालीस लाख छियासी हजार चार सौ आठ) मात्र की विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 20. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

21. वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य योजनान्तर्गत मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, मीठापुर, पटना के प्रशासनिक भवन, शैक्षणिक भवन, परीक्षा भवन, परिसर विकास आदि हेतु कुल रू० 82,18,29,000/–(बयासी करोड़ अट्ठारह लाख उनतीस हजार) मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए तत्काल रू० 10,00,00,000/–(दस करोड़) मात्र सहायक अनुदान राशि की विमुक्ति प्रदान करने के संबंध में। 21. **स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

22. बिहार राज्यान्तर्गत कुल 09 सरकारी महाविद्यालयों क्रमशः अनुमण्डल सरकारी डिग्री महाविद्यालय राजगीर (नालन्दा), अनुमण्डल सरकारी डिग्री महाविद्यालय, बेनीपुर (दरभंगा), अनुमण्डल सरकारी डिग'्री महाविद्यालय, वायसी (पूर्णियाँ), अनुमण्डल सरकारी डिग्री महाविद्यालय, पकड़ीदयाल (पूर्वी चम्पारण), अनुमण्डल सरकारी डिग्री महाविद्यालय, शिवहर (शिवहर), अनुमण्डल सरकारी डिग्री महाविद्यालय, बगहा (पश्चिम चम्पारण), अनुमण्डल सरकारी डिग्री महाविद्यालय, धमदाहा (पूर्णियाँ), अनुमण्डल सरकारी डिग्री महाविद्यालय, नौहट्टा, डेहरी (रोहतास) तथा अरवल जिला मुख्यालय में सरकारी डिग्री महाविद्यालय, अरवल के शैक्षणिक सत्र 2019–20 से संचालन की अनुमति प्रदान करने के संबंध में। 22. **स्वीकृत।**

गृह विभाग

23. कारा चिकित्सा सेवा को सुदृढ़ बनाने हेतु "बिहार कारा 'परिधापक' संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2019 गृह विभाग (कारा) की स्वीकृति के संबंध में। 23. **स्वीकृत।**

गृह विभाग

24. माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर CWJC No.-12149/2010 (सुनील कुमार मौर्य एवं सतीश कुमार सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) में दिनांक–13.10.2017 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में याचिकाकर्त्ताओं को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने, दिनांक–01.09.2005 के पूर्व नियुक्त किये गये उनसे कनीय की नियुक्ति की तिथि से वेतन निर्धारण का वैचारिक लाभ प्रदान करने एवं बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त अनुशंसा सूची में उल्लेखित मेधाक्रम के अनुसार वरीयता निर्धारित करने के संबंध में। 24. **स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

25. केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत राज्य के 13 जिलों के कुल 23 पथों (कुल लम्बाई--333.66 कि॰मी॰) के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य को कुल ₹72877.137 लाख (सात सौ अठाईस करोड़ सत्तहत्तर लाख तेरह हजार सात सौ) रूपये के अनुमानित लागत पर निर्माण कराने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

25. **स्वीकृत।**

वित्त विभाग

26. उद्योग विभाग के अन्तर्गत हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय के कीटपालक पद के वेतनमान के संबंध में।

26. **स्वीकृत।**

वित्त विभाग

27. षष्ठम राज्य वित्त आयोग के गठन के संबंध में।

27. **स्वीकृत।**

ऊर्जा विभाग

28. केन्द्र सरकार एवं आर०ई०सी० द्वारा 38 जिलों में बी०पी०एल० परिवारों को कनेक्शन मद में 1444.75 करोड़ (चौदह सौ चौवालीस करोड़ पचहत्तर लाख) रूपये के आकलित बचत के अंतर्गत पूर्ववर्ती फ्रेंचाईजी क्षेत्र मुजफ्फरपुर, भागलपुर एवं गया सहित कुल 712.81 करोड़ (सात सौ बारह करोड़ इक्यासी लाख) रूपये की समर्पित डी०पी०आर० एवं ग्रामीण विद्युतीकरण के दौरान किये गये अतिरिक्त संरचना के निर्माण की प्राप्त सैद्धांतिक स्वीकृति 60:40 वित्तीय पोषण (Funding mechanism) के अंतर्गत निर्दिष्ट शर्तों के अधीन ग्रामीण विद्युतीकरण के अंतर्गत अतिरिक्त संरचना हेतु किये गये कार्यों तथा तीनों फ्रेंचाईजी क्षेत्र में कार्य शुरू करने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

28. **स्वीकृत।**

ऊर्जा विभाग

29. नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के क्षेत्राधीन मुजफ्फरपुर शहर (पूर्व वितरण फ्रेन्चाईजी क्षेत्र) में इंटिग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम (आई०पी०डी०एस०) के अन्तर्गत वितरण की संरचना के विस्तारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 179.43 करोड़ (एक सौ उनासी करोड़ तैंतालीस लाख) रूपये की अनुमोदित योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल राशि 179.43 करोड़ रूपये का 60 प्रतिशत 107.658 करोड़ (एक सौ सात करोड़ पैंसठ लाख अस्सी हजार) रू० भारत सरकार द्वारा अनुदान, 10 प्रतिशत 17.943 करोड़ (सत्रह करोड़ चौरानवे लाख तीस हजार) रू० राज्य सरकार द्वारा हिस्सा पूंजी के रूप में एवं 30 प्रतिशत 53.829 करोड़ (तिरेपन करोड़ बयासी लाख नब्बे हजार) रू० वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण स्वरूप उपलब्ध कराने की सैद्धांतिक स्वीकृति एवं गारंटी। पावर सब–स्टेशन के निर्माण हेतु आवश्यक भूखण्ड के क्रय में होने वाले वास्तविक खर्च की शत–प्रतिशत प्रतिपूर्ति राज्य योजना से करने की स्वीकृति प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

29. **स्वीकृत।**

ऊर्जा विभाग

30. साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के क्षेत्राधीन भागलपुर, गया, बोधगया शहर (पूर्व वितरण फ्रेनचाईजी) एवं आरा में इंटिग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम (आई०पी०डी०एस०) के अन्तर्गत वितरण की संरचना के विस्तारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 346.54 करोड़ (तीन सौ छियालीस करोड़ चौवन लाख) रूपये की अनुमोदित योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल राशि 346.54 करोड़ रूपये का 60 प्रतिशत 207.924 करोड़ (दो सौ सात करोड़ बानवे लाख चालीस हजार) रूपये भारत सरकार द्वारा अनुदान 10 प्रतिशत 34.654 करोड़ (चौंतीस करोड़ पैसठ लाख चालीस हजार) रूपये राज्य सरकार द्वारा हिस्सा पूंजी के रूप में एवं 30 प्रतिशत 103.962 करोड़ (एक सौ तीन करोड़ छियानवे लाख बीस हजार) रूपये वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण स्वरूप उपलब्ध कराने की सैद्धांतिक स्वीकृति एवं गारंटी। पावर सब–स्टेशन के निर्माण हेतु आवश्यक भूखण्ड के क्रय में होने वाले वास्तविक खर्च की शत–प्रतिशत प्रतिपूर्ति राज्य योजना से करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

30. **स्वीकृत।**

ऊर्जा विभाग

31. नॉर्थ एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं०लि० के क्षेत्राधीन इंटिग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम (आई०पी० डी०एस०) अन्तर्गत GIS/E-house Containerized विद्युत शक्ति उपकेन्द्र एवं इससे संबंधित 33 तथा 11 के०भी० लाईनों के निर्माण हेतु कुल 179.80 करोड़ (एक सौ उनासी करोड़ अस्सी लाख) रूपये की अनुमोदित योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल राशि का 60 प्रतिशत 107.88 करोड़ (एक सौ सात करोड़ अठासी लाख) रू० भारत सरकार द्वारा अनुदान, 10 प्रतिशत 17.98 करोड़ (सत्रह करोड़ अंठानवे लाख) रूपये राज्य सरकार द्वारा हिस्सा पूंजी के रूप में एवं 30 प्रतिशत 53.94 करोड़ (तिरेपन करोड़ चौरानवे लाख) रू० वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण स्वरूप उपलब्ध कराने की सैद्धांतिक स्वीकृति एवं गारंटी। शक्ति उपकेन्द्र के निर्माण हेतु आवश्यक भूखण्ड के क्रय में होने वाले वास्तविक खर्च की शत–प्रतिशत प्रतिपूर्ति राज्य योजना से करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

31. **स्वीकृत।**

समाज कल्याण विभाग

(आई०सी०डी०एस० निदेशालय)

33. ऑगनबाड़ी सेविका, मिनी ऑगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका को राज्य भत्ता के रूप में मानदेय के 25 प्रतिशत राशि देने की व्यवस्था को समाप्त कर उसके स्थान पर एक निश्चित राशि क्रमशः 1150 रू० (एक हजार एक सौ पचास), 900 रू० (नौ सौ) एवं 575 रू० (पाँच सौ पचहत्तर) दिनांक 01.10.2018 के प्रभाव से किये जाने एवं इस दर वृद्धि के कारण वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में 3347.27 लाख रू० (तैंतीस करोड़ सैतालीस लाख सताईस हजार) के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

33. **स्वीकृत।**

समाज कल्याण विभाग

34. राज्य में वृद्धजनों के सम्मानपूर्ण जीवन यापन हेतु एक नई योजना "मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना" जिसमें राज्य के सभी आय वर्ग के वृद्धजन जिनकी आयु 60 (साठ) से अन्यून हो और जिन्हें केंद्र/राज्य सरकार से कोई वेतन, पेंशन, पारिवारिक पेंशन या सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त न हो रहा हो, उन्हें 60–79 वर्ष की आयु के लिए 400 (चार सौ) रूपये एवं 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के लिए 500/–रू० (पाँच सौ) का मासिक पेंशन देय होगा तथा जो वित्तीय वर्ष 2019–20 से अर्थात 01.04.2019 से भुगतेय होगा, की स्वीकृति के संबंध में।

34. **स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

35. राज्य स्कीम के अन्तर्गत बिहार राज्य में पूर्व से संचालित महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आँचल योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2018–19 में 01 फरवरी, 2019 से शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) के वर्तमान मानदेय 8,000/–(आठ हजार) रूपये प्रतिमाह से वृद्धि कर 10,000/–(दस हजार) रूपये प्रतिमाह करने की स्वीकृति।

35. **स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

36. मध्याह्न भोजन योजना में कार्यरत रसोईया–सह–सहायक को राज्य भत्ता के रूप में राज्य सरकार द्वारा पूर्व से दी जा रही 250.00 रू० प्रतिमाह की राशि 250.00 रू० प्रतिमाह की अतिरिक्त वृद्धि करते हुए दिनांक–01 फरवरी, 2019 से कुल 1500.00 रू० प्रतिमाह की दर से मानदेय भुगतान की स्वीकृति।

36. **स्वीकृत।**

ग्रामीण कार्य विभाग

37. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत केन्द्रीय एजेंसियों, यथा नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड (एन०बी०सी०सी०), सेन्ट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (सी०पी०डब्लू०डी०), नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड (एन०पी०सी०सी०), नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एन०एच०पी०सी०) एवं इरकॉन के द्वारा अपूर्ण छोड़े गये सभी 90 पथों का यथा स्थिति प्रभार वापस लेने, इन पथों के शेष कार्यों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के राज्यांश मद से पूर्ण करने, पंचवर्षीय अनुरक्षण सुनिश्चित करने तथा केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत निर्मित किंतु अनुरक्षण–विहीन पथों का पंचवर्षीय रूटीन अनुरक्षण कार्य को यथास्थिति वापस लेते हुए ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा सुधार/मरम्मत/अनुरक्षण कराये जाने के संबंध में।

37. **स्वीकृत।**

श्रम संसाधन विभाग

38. नालन्दा जिलान्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सरमेरा की स्थापना की स्वीकृति के संबंध में। — 38. स्वीकृत।

अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग

39. बिहार महादलित विकास मिशन के माध्यम से महादलित विकास मिशन की योजनाओं के कार्यान्वयन में सहयोग के लिए विकास मित्रों का मानदेय ₹10000/–(दस हजार रू०) प्रति माह से बढ़ाकर 01 फरवरी, 2019 से ₹12500/–(बारह हजार पाँच सौ रू०) प्रति माह करने की स्वीकृति। — 39. स्वीकृत।

परिवहन विभाग

40. बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की सुलतान पैलेस एवं बॉकीपुर बस स्टैंड की क्रमशः 4.80 एवं 3.24 एकड़ भूमि एवं भवन पर्यटन विभाग, बिहार सरकार को हस्तांतरण करने एवं इसके एवज में निगम पर सरकार का बकाया मूलधन ऋण की राशि 874.81 करोड़ रूपये के अपलेखन, केन्द्रीय कर्मशाला फुलवारीशरीफ की भूमि पर निगम के केन्द्रीय कर्मशाला, फुलवारीशरीफ, पटना की जमीन पर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के विभिन्न कार्यालय तथा जिला परिवहन कार्यालय एवं ड्राईविंग प्रशिक्षण व जाँच केन्द्र राज्य सरकार की निधि से विकसित भवन निर्माण विभाग से कराये जाने तथा ISBT की भूमि पर निगम की बसों के संचालन हेतु आधारभूत संरचना के साथ पर्याप्त स्थल बिहार राज्य पथ परिवहन निगम को उपलब्ध कराने के संबंध में। — 40. स्वीकृत।

परिवहन विभाग

41. बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के केन्द्रीय कर्मशाला, फुलवारीशरीफ, पटना की जमीन पर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम का मुख्यालय, बस डिपो का कार्यालय बिहार राज्य पथ परिवहन निगम का क्षेत्रीय कार्यालय, जिला परिवहन कार्यालय एवं ड्राईविंग प्रशिक्षण केन्द्र भवन का निर्माण भवन निर्माण विभाग द्वारा केन्द्रीय कर्मशाला, फुलवारीशरीफ, पटना में प्रस्तावित परिवहन परिसर के निर्माण कार्य का कुर्सी क्षेत्रफल दर आधारित तकनीकी अनुमोदन प्राक्कलन 124.03 करोड़ (एक सौ चौबीस करोड़ तीन लाख) रूपये की राशि प्राप्त कर विकसित/निर्माण भवन निर्माण विभाग के माध्यम से कराये जाने के संबंध में। — 41. स्वीकृत।

सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग

42.	बिहार पत्रकार पेंशन योजना नियमावली, 2015 को निरसित करते हुए बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना नियमावली, 2019 की स्वीकृति के संबंध में।	42.	**स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

43.	राज्य के विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के लिए पुनरीक्षित वेतनमान एवं भत्ते तथा सेवानिवृत/मृत शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के संबंध में गठित समिति द्वारा की गई अनुशंसा पर स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	43.	**स्वीकृत।**